

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062020-219898 CG-DL-E-12062020-219898

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289] No. 289] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 11, 2020/ज्येष्ट 21, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 11, 2020/JYAISHTHA 21, 1942

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली,11 जून, 2020

सा.का.िन. 370(अ).— महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पिठत धारा 124 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केंद्र सरकार, खंड 123 के तहत कोलकाता पत्तन न्यास के न्यासी मण्डल द्वारा निर्मित कोलकाता पत्तन न्यास (स्टेवेडिरिंग व तट संचालन लाइसेन्स) विनियम,2020, को संशोधन सिहत अनुमोदित करती है। उक्त अधिनियम की धारा 124 की उप-धारा (2) के तहत आवश्यकतानुसार इसे प्रकाशित किया गया है, जैसा कि इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है।

2. उक्त अनुमोदित विनियम शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 (1963 का 38) की धारा 123 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोलकाता पत्तन न्यास के न्यासी मण्डल द्वारा, कोलकाता पत्तन न्यास (स्टेवेडोर्स की लाइसेंसिंग) विनियम, 1987 के अधिक्रमण में , ऐसे अधिक्रमण से पहले पूरे किए गए या हटाए जाने वाले मामलों को छोड़कर निम्नलिखित विनियम बनाए गए हैं :-

- **1. लघु शीर्षक और प्रारंभ:** (1) यह विनियम कोलकाता पत्तन न्यास (स्टेवेडरिंग व तट संचालन लाइसेन्स) विनियम, 2020 कहा जा सकेगा।
 - (2) ये शासकीय राजपत्र में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2530 GI/2020 (1)

- 2. परिभाषाएँ- इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
- (क) "अधिनियम" से महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) अभिप्रेत है ;
- (ख) "एजेंट" से वह व्यक्ति जिसे विनियमन 6 के तहत स्टेवेडरिंग और तट संचालन लाइसेंस जारी किया गया है, अभिप्रेत है;
- (ग) **"बोर्ड"** से इस अधिनियम के तहत गठित कोलकाता पत्तन के लिए न्यासी मण्डल अभिप्रेत है;
- (घ) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (ड.) "प्रपत्र" से इन विनियमों के परिशिष्ट अभिप्रेत है;
- (च) **"महाप्रबंधक (यातायात)"** से कोलकाता पत्तन न्यास के हिल्दिया गोदी परिसर के यातायात परिचालन विभाग के प्रभारी अधिकारी और उनके प्राधिकार के तहत काम कर रहे, उप-अधिकारी और सहायक या कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत हैं;
- (छ) कोलकाता पत्तन न्यास की दरों के प्रचलित पैमाने में परिभाषित, हल्दिया गोदी परिसर से हल्दिया गोदी परिसर अभिप्रेत है ।
- (ज) कोलकाता पत्तन न्यास के दरों के प्रचलित मानों में उल्लिखित कोलकाता गोदी प्राणाली से कोलकाता गोदी प्रणाली अभिप्रेत है।
- (झ) **"लाइसेन्स"** से विनियम 6 के तहत जारी किए गये स्टेवेडरिंग और तट संचालन लाइसेंस अभिप्रेत है।
- (ञ) "पत्तन" से कोलकाता पत्तन अभिप्रेत है;
- (ट) **"रॉयल्टी"** से बोर्ड द्वारा निर्धारित राशि जो एजेंट द्वारा बोर्ड को स्टेवेडरिंग और तट संचालन सेवाओं के लिए देय है; अभिप्रेत है;
- (ठ) **''तट संचालन''** में हुक प्वाईंट से/को माल/कंटेनर को व्यवस्थित करना और प्राप्त करना, घाट से स्टैकयार्ड तक अंतर-पत्तन परिवहन और वैगनों/ट्रकों/बार्जों से/को माल/कंटेनर की प्राप्ति और सुपुर्दगी भी शामिल है;
- (ड) "स्टेवेडरिंग गतिविधियाँ" में वे सभी परिचालन गतिविधियाँ शामिल हैं, जिनमें जेटी, बर्थ, घाट, पियर, क्वे, डॉक्स या लंगरगाह में, जो बोर्ड के नियंत्रणाधीन या स्वामित्वधीन है, माल के पोतों पर लादने या उतारने से संबिन्धित कार्यबल और जहाजों पर उपकरण रखना शामिल है। इसमें आयात और निर्यात कार्गों के लिए ऑन-बोर्ड हुक लगाने और हुक नहीं लगाने सहित कंटेनरों को भरना या खाली करना शामिल है;
- (ढ) "टैरिफ प्राधिकरण" से इस अधिनियम की धारा 47ए के तहत गठित महापत्तनों हेत् शुल्क प्राधिकरण अभिप्रेत है।
- (ण) "<mark>यातायात प्रबन्धक"</mark> से कोलकाता पत्तन न्यास के तहत कोलकाता गोदी प्रणाली के यातायात विभाग के प्रभारी अधिकारी और उसके प्राधिकार के तहत काम कर रहे उनके उपअधिकारी और सहायक या अन्य अधिकारी शामिल है;
- (त) यहां प्रयोग किए गए शब्द या अभिव्यक्तियां जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अधिनियम में परिभाषित है, उसका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में दिया गया है।

अनुप्रयोग

- 3. ये विनियम पत्तन के अधिकार क्षेत्र के तहत एजेंट द्वारा पोतों पर स्टेवेडिरंग कार्यकलाप और तटों पर तट संचालन कार्यकलाप के लिए प्रयोज्य होगा। यह उन कार्यकलापों के लिए प्रयोज्य नहीं होगा जो बोर्ड द्वारा सीधे या ठेकेदार के माध्यम से अथवा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरिशप करार के किसी व्यक्ति द्वारा अथवा बिल्ड-ऑपरेट ट्रांसफर करार या ऐसे अन्य करार जिसमें बोर्ड शामिल है, किया जाएगा।
- 4. कोई भी व्यक्ति स्टेवेडरिंग या तट संचालन गतिविधियां लाइसेंस के बिना नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति पत्तन में स्टेवेडरिंग या तट संचालन गतिविधियां को तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसे इन विनियमों के तहत वैध लाइसेंस जारी नहीं किया गया हो :
- बशर्ते कि कोई व्यक्ति जिसे इन विनियमों के लागू होने से पहले लाइसेंस जारी किया गया हो, मौजूदा लाइसेंस के

तहत साठ दिनों तक के लिए या जब तक वह इन नियमों के तहत लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लेता, इनमें से जो पहले हो, परिचालन जारी रख सकता है।

- **5. लाइसेन्स को जारी करने हेतु मानदंड –** स्टेवेडरिंग व तट संचालन गतिविधियों के लिए लाइसेन्स ऐसे आवेदक को जारी किया जा सकता है जो निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करता है , यथा –
- क) आवेदक, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 के 18)के तहत पंजीकृत एक कंपनी है या एक साझेदारी फर्म या कोई अन्य विधिक इकाई है;
- ख) आवेदक कम से कम छ: पर्यवेक्षीय कार्मिकों को जिन्हें माल संचालक अथवा माल रखने की प्रक्रिया योजना में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव हो , नियुक्त करे या नियुक्त करने का वचन दे ;
- बशर्ते कि, ऐसे पर्यवेक्षी कर्मी किसी अन्य कंपनी के वेतन अनुक्रम पर या किसी अन्य नियोक्ता का कर्मचारी या आवेदक द्वारा किसी अन्य पत्तन में तैनात किया गया न हों;
- ग) आवेदक, स्टेवेडरिंग व तट संचालन गतिविधियों के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट उपकरण , गियर्स और अपेक्षित आनुषंगिक सामग्री रखता हो;
- घ) आवेदक, किसी भी आकस्मिकता को पूरा करने के लिए, पांच लाख रुपए की ब्याज-मुक्त वापसी योग्य सिक्योरिटी डिपॉजिट या बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित राशि जमा करने का इच्छुक हो ;
- 6. लाइसेन्स जारी करना:- (1) जो भी व्यक्ति इन विनियमों के तहत स्टेवेडरिंग व तट संचालन गतिविधियों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वह किसी भी समय बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है या अध्यक्ष को फॉर्म –ए में लिखित रूप में आवेदन कर सकता है। साथ ही इसमें उल्लिखित दस्तावेज संलग्न करेगा और शुल्क स्वरूप एक लाख रुपए या, बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित उच्चतर शुल्क अदा करेगा।
- (2) यदि अध्यक्ष संतुष्ट है कि आवेदक विनियमन 5 के तहत निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है , वह फॉर्म-बी के तहत आवेदक को लाइसेंस जारी कर सकता है या अन्यथा आवेदक को मना करने का आदेश दे सकता है।
- (3) विनियमन (5) के खंड (घ) में निर्दिष्ट सुरक्षा जमा के भुगतान पर उप-विनियमन (2) के तहत लाइसेंस जारी किया जा सकता है।
- 7. लाइसेन्स की वैधता और नवीनीकरण:- (1) विनियमन 6 के तहत जारी किए गये लाइसेंस, इसके जारी करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए वैध होगा जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।
- (2) लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए प्रपत्र-ए में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। यह आवेदन लाइसेन्स की समाप्ति से कम से कम तीन महीने पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, साथ ही इसमें निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ और एक लाख रुपये का शुल्क या बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित उच्चतर शुल्क अदा सकता है और विलंब होने की स्थिति में, पचास हजार रुपये की विलंब शुल्क या ऐसा अन्य विलंब शुल्क, जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, अदा करेगा।
- (3) यदि आवेदक निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, तो लाइसेंस का नवीकरण किया जाएगा , यथा -
- क) लाइसेंस के नियमों और शर्तों का अनुपालन किया है;
- ख) वह प्रतिवर्ष बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित माल अथवा कंटेनरों का न्यूनतम भार /इकाई का संचालन किया है :
- ग) टैरिफ प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित निष्पादन मानकों का अनुपालन किया है;
- घ) आवेदक ने सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन किया है और इस तरह के अनुपालन को गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 (1986 का 54) के तहत नियुक्त निरीक्षक द्वारा अध्यक्ष को प्रस्तुत किए गए अपनी रिपोर्ट में अभिप्रमाणित किया गया है।
- 4) यदि अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट है कि आवेदक ने उप-नियमन (3) में कि निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया है, तो लाइसेंस

को तीन साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट हो, अथवा, अन्यथा आवेदक को मना करने का आदेश दे सकता है।

बशर्ते, लाइसेन्स के समपान के पूर्व उप-विनियम (3) के खंड(घ) में उल्लिखित निरीक्षक का रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया जाता किन्तु यदि अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट हों कि आवेदक उप विनियम (3) में विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों को पूरा करता है, तो पुन: आगामी तीन वर्षों के लिए लाइसेन्स का नवीकरण किया जाएगा, यदि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हों, बशर्ते एजेंट फार्म-सी में क्षतिपूर्ति बॉन्ड निष्पादित करें;

बशर्ते, निरीक्षक की प्रतिकूल रिपोर्ट होने पर, लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है।

(5) वास्तविक लाइसेंस खोने या विकृत होने की स्थिति में, लाइसेंस की प्रतिलिपि जारी की जा सकती है, यदि अध्यक्ष को इस संबंध में एक आवेदन किया जाता है और पचास हजार रुपए या बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित ऐसी अन्य राशि का भुगतान किया जाता है।

8. स्टेवेडरिंग व तट संचालन गतिवधियों के लिए मानकों और प्रशुल्क का निष्पादन –

- (1)पत्तन में स्टेवेडरिंग और तट संचालन गतिविधियों को पूरा करने के लिए एजेंट द्वारा अपनाए गए निष्पादित मानकों को बोर्ड समय-समय पर विनिर्दिष्ट करेगा।
- (2) बोर्ड, इसके द्वारा निर्दिष्ट निष्पादित मानकों के अनुपालन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, एजेंटों के लिए प्रोत्साहन राशि और गैर-प्रदर्शन के लिए जुर्माना निर्दिष्ट कर सकता है और अपनी वेबसाइट पर एजेंटों द्वारा प्राप्त निष्पादन का मासिक सारांश प्रकाशित कर सकता है।
- 3) प्रशुल्क प्राधिकरण, उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट निष्पादन मानकों के आधार पर, पत्तन में स्टेवेडरिंग व तट संचालन गतिविधयों के लिए मशीनीकृत और मैनुअल परिचालन के लिए पृथक प्रशुल्क निर्धारित करेगा और यह प्रशुल्क पत्तन में प्रयोज्य प्रशुल्क-सीमा दर होगी।
- 4) उप-विनियमन (3) के तहत प्रशुल्क को सूचित करते समय, प्रशुल्क प्राधिकरण, उप-विनियमन (1) के तहत मण्डल द्वारा विनिर्दिष्ट निष्पादित मानकों को भी सूचित करेगा।
- 5) कोई भी एजेंट प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित सीमा दरों से अधिक प्रशुल्क चार्ज नहीं करेगा।
- 6) अध्यक्ष द्वारा एक या अधिक नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो निम्न दायित्व का निर्वाह करेंगे-
- क) एजेंट द्वारा स्टेवेडरिंग व तट संचालन प्रशुल्क का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना ।
- ख) प्रशुल्क अधिसूचना के उल्लंघन या सीमा दरों से अधिक शुल्क लगाए जाने पर प्राप्त शिकायतों की जांच करना;
- ग) किसी भी एजेंट द्वारा किए गए उल्लंघन पर यातायात प्रबंधक या महाप्रबंधक (यातायात), जैसा भी मामला हो, को रिपोर्ट सौंपना।
- 9.रॉयल्टी का भुगतान (1) बोर्ड द्वारा जारी लाइसेंस के संदर्भ में, बोर्ड लाइसेन्स शुल्क के रूप में एक रॉयल्टी प्रभार लेगा, जो समय-समय पर निर्धारित टैरिफ सीमा के प्रतिशत के आधार पर बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा। समान प्रकार और परिमाण के माल संचालन के लिए एजेन्टों से इस प्रकार के रॉयल्टी प्रभारित किए जाने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
- (2) प्रत्येक एजेंट का दायित्व होगा कि वह आयात के मामले में आयातित सामान्य मालसूची परिमाण के आधार पर और निर्यात के मामले में निर्यातित सामान्य माल-सूची अथवा पोत के एजेंट अथवा निर्यातक द्वारा घोषित परिमाण के आधार पर पोतों के आने से पहले रॉयल्टी का अग्रिम भुगतान करेंगे। देय वास्तविक रॉयल्टी की गणना एजेंट द्वारा संचालित माल के कुल परिमाण के आधार पर पोत परिचालन पूरा होने के उपरांत की जाएगी।
- (3) रॉयल्टी की राशि में अंतर, यदि कोई हो, पोत-परिचालन पूरा होने से दस दिनों के भीतर देय होगा और रॉयल्टी भुगतान में विलंब के मामले में, पत्तन की दरों के पैमाने के अनुसार विनिर्दिष्ट ब्याज देय होगा।
- (4) बोर्ड निम्नलिखित परिस्थितियों में रॉयल्टी की छूट पर विचार कर सकता है: -

- (क) प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्गो का संचालन ;
- (ख) आपातकाल और युद्ध स्थितियों के दौरान रक्षा कार्गो का संचालन;
- (ग) यदि सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्देश जारी किया गया है।
- 10. एजेंट का कर्तव्य और दायित्व- प्रत्येक एजेंट निम्नलिखित कर्तव्यों और दायित्वों को निष्पादित करेगा , यथा –
- (क) कोलकाता गोदी प्रणाली और हल्दिया गोदी परिसर के यातायात विभाग को, जैसा भी मामला हो , दैनिक निष्पादन रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे;
 - (ख) उस समय प्रभावी किसी विधि के तहत विनिर्दिष्ट प्रयोज्य सुरक्षा नियमों का अनुपालन, जो उस कार्यकलाप से संबन्धित हो :
 - (ग) अपने संचालन से उत्पन्न सभी तृतीय पक्षकार के दावों के खिलाफ बोर्ड को क्षतिपूर्ति;
- (घ) यह सुनिश्चित करना कि प्रभावी कानून के तहत बीमा पॉलिसी और अन्य लाभ भी उनके द्वारा तैनात अस्थायी मजदूरों पर भी लागू किए गए हो;
- (ड.) यदि बोर्ड के किसी भी गियर, संयंत्र, बुनियादी ढांचे या कोई अन्य संपत्ति, स्टेवेडरिंग व तट संचालन गितिविधियों के दौरान क्षतिग्रस्त होता है, तो वह बोर्ड को होने वाले ऐसे नुकसान या क्षति की भरपाई करेगा, जिसकी सीमा अध्यक्ष या उनके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तय की जाएगी जोकि उचित जांच और संपत्ति के मूल्यांकन और क्षति की स्थिति को देखने के पश्चात ही तय होगा;
 - (च) लाइसेन्स के नियम और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना ;
 - (छ) मण्डल द्वारा समय-समय पर नियत निष्पादित मानकों की उपलब्धि;
 - (ज) दरों के पैमाने में निर्दिष्ट ब्याज और पंजीकृत माल संचालन श्रमिकों से प्राप्त सेवाओं के लिए प्रभार सहित पत्तन के सभी बकाए का भुगतान करेगा;
 - (झ) उनके द्वारा प्रभारित प्रशुल्क प्रकाशित किया जाएगा, जो प्रशुल्क-प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सीमा दरों से अधिक नहीं होगा, और वेबसाइट पर इसे अपलोड किया जाएगा :
 - (ञ) बोर्ड के वेबसाइट पर इस प्रशुल्क का प्रकाशन सुनिश्चित करना ;
- (ट) स्टेवेडरिंग व तट संचालन गतिविधियों के लिए तैनात कार्मिकों को कार्गो संचालन के आधुनिक प्रणाली की जानकारी हेतु आविधक आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करना, तािक उत्पादकता में सुधार किए जा सके और स्टेवेडरिंग व तट संचालन गतिविधियों में दक्षता और सुरक्षा लाया जा सके ;
- (ठ) एजेंट, सांविधिक मानदंडों का पालन करते हुए और बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट, आवश्यक उपकरण तैनात करेगा, और स्वयं के अथवा किराए पर लिए गए गियर या उपकरणों से संचालन कार्य करेगा;
- (ड) एजेंट दुर्घटना या क्षति या हानि या उसके द्वारा किए गए संचालन से उत्पन्न या उत्पन्न होने वाले दावों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा ;
- (ण) किसी एजेंट द्वारा या उसके किसी कर्मचारी या कामगार द्वारा किए जा रहे कार्य के दौरान यदि कोई दुर्घटना होती है तो उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप जब बोर्ड को अपने कर्मचारियों अथवा कामगारों या उनके आश्रितों को कामगार क्षतिपूर्ति, अधिनियम, 1923 अथवा संबन्धित अविध में लागू अन्य विधान के तहत क्षतिपूर्ति देना अपेक्षित होता है, तो एजेंट इस संदर्भ में देय राशि बोर्ड को प्रतिपूर्ति करेगा;
- (त) स्टेवेडरिंग व तट संचालन एजेंट उनके द्वारा की जा रही स्टेवेडरिंग और/अथवा तट संचालन कार्यकलापों अथवा उससे संबंधित कार्यों की कोई भी सूचना केओपीटी के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जब भी मांगी जाए, तुरंत संप्रेषित की जाएगी;
- (थ) स्टेवेडरिंग व तट संचालन एजेंट उनके द्वारा तैनात कामगारों का पर्याप्त पर्यवेक्षण करेंगे ताकि सुरक्षा अपेक्षाओं को निरंतर पूरा करते हुए अधिकतम उत्पादकता सुनिश्चित किया जा सके ;

- (द) एजेंट यह सुनिश्चित करेगा कि अवकाश अवधि के अतिरिक्त सम्पूर्ण पाली अवधि के दौरान श्रमिक कार्यस्थल पर मौजूद रहेंगे और वांछित उत्पादकता प्रदान करेंगे और जब भी उत्पादन निर्धारित मानदंडों से कम हो, तो निष्पादन में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे;
- (ध) स्टेवेडरिंग व तट संचालन एजेंट अनुषंगिक परिचालनों के लिए पर्याप्त प्रबंध करेंगे जो पोतों पर ऑन बोर्ड माल परिचालन के साथ-साथ तट परिचालन के लिए, जैसा अपेक्षित हो, आवश्यक होगा जैसे झाड़ू लगाना, भरना, सिलना, मरम्मत करना, पोत का स्टेंसिलिंग, पोतों की प्राप्ति व भंजन, माल का एकत्रित करना व सजाना इत्यादि । इन अनुषंगिक कार्यों के लिए पृथक प्रभार नहीं लिया जाएगा बल्कि यह टैम्प द्वारा अधिसूचित स्टेवेडरिंग व तट संचालन दरों में ही शामिल होगा;
- (न) स्टेवेडरिंग व तट संचालन एजेंट, किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस के अधीन प्राप्त किसी भी हित/लाभ को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंपेंगे, हस्तांतरित नहीं करेंगे।
- 11) यातायात प्रबंधक या महाप्रबंधक (यातायात) के कर्तव्य:
- (1) यातायात प्रबंधक या महाप्रबंधक (यातायात), जैसा भी मामला हो, एजेंट को जारी किए गए लाइसेंस के नियमों और शर्तों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने और एजेंट द्वारा अनुपालन किए जाने वाले सुरक्षा मानकों को भी सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।
- (2) लाइसेंस के नियमों और शर्तों के अनुपालन में या किसी भी एजेंट द्वारा सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की चूक हो, तो यातायात प्रबंधक या महाप्रबंधक (यातायात), जैसा भी मामला हो , ऐसी पहली चूक के लिए एजेंट को चेतावनी देंगे, और परवर्ती समय में इस प्रकार की चूक होती है तो गैर-अनुपालन से संबन्धित विवरण के लिए अध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें एजेंट के विरुद्ध लिए जाने वाले दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा सहित लाइसेन्स का निरस्तीकरण और सुरक्षा जमाराशि का जब्त किया जाना भी शामिल है।
- 12. बोर्ड, डॉक लेबर बोर्ड, लाइसेंस धारक या अन्य स्रोतों के श्रमिकों की तैनाती एजेंटों द्वारा पत्तन और / या डॉक लेबर बोर्ड के कामगारों की तैनाती का वर्तमान प्रक्रिया जारी रहेगा। एजेंट पत्तन और / या डॉक लेबर बोर्ड के कामगारों को यथासमय प्रभावी कानून के अनुसार तैनाती करेंगे और यदि पत्तन और / या डॉक लेबर बोर्ड कामगारों की आपूर्ति एजेंट के अपेक्षानुसार नहीं कर पाएंगे तो पत्तन और / या डॉक लेबर बोर्ड एजेंट को इसे अपने प्रबंधन से पूरा करने की अनुमति देंगे।
- 13. लाइसेंस का निरस्तीकरण और निलंबन अध्यक्ष एजेंटों के निष्पादन की समीक्षा प्रत्येक माह कर सकते हैं और यदि आवश्यक समझते है तो वे लिखित आदेश द्वारा और रिकॉर्ड किए गए कारणों से निम्न में से किसी आधार पर, जारी लाइसेंस निलंबित या रद्द कर सकते हैं, यथा -
- क) उनके द्वारा संचालित लगातार तीन पोतों के लिए औसत निष्पादन मानक निष्पादन/उत्पादकता से कम हो;
- (ख) टैरिफ प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सीमा दरों से अधिक शुल्क लिया जा रहा हो ;
- (ग) लगातार दो वर्षों की अवधि के दौरान, विनियम 7 के उप-नियमन (3) के खंड (ब) में विनिर्दिष्ट आयतन से कम कार्गो संचालन किया जा रहा हो;
- (घ) न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से संबन्धित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो;
- (ड.) सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया गया हो और अनिवार्य डॉक सुरक्षा उपायों का पालन करने में विफल रहा हो ;
- (च) उचित एवं सुरक्षित पद्धतियों को अपनाने से चूक जाता हो ;
- छ) महत्वपूर्ण तथ्यों का गलत या असत्य विवरण देने का दोषी हो;
- ज) न्यायनिर्णीत दिवालिया हो गए हो या परिसमापन में हों ;
- झ) स्टेवेडोरिंग व तट-संचालन कार्यकलापों के परिचालन के लिए लाइसेन्स को हस्तांतरित अथवा उप किरायेदारी पर किसी अन्य व्यक्ति को देता हो ;
- (ञ)सुरक्षा नियमों, अनुदेशों या अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड का अनुपालन करने में असमर्थ हो ।

- (ट) दैनिक निष्पादन रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में असमर्थ हो ;
- (ठ) अवैध आचरण/भ्रष्टाचार में लिप्त हो ;
- (ड) कोई दुराचार जो बोर्ड के विचार में लाइसेन्स के रद्दकरण या निलंबन के लिए उचित कारण हो;
- (ढ) पत्तन को देय बकाये का भुगतान न किया हो;

परन्तु ऐसा कोई लाइसेंस तब तक रद्द, निलंबित या नामंजूर, नहीं किया जाएगा, जब तक कि लाइसेंसधारी या आवेदक को कारण दर्शाने का समुचित मौका न दिया जाए जिसमें उनसे पूछा जाए कि उनका लाइसेंस रद्द निलंबित या नामंजूर, क्यों न किया जाए,

14- अपील-

कोई व्यक्ति, जो विनियम 6 के तहत लाइसेंस जारी करने से इनकार करने के आदेश से या विनियमन 7 के तहत लाइसेंस नवीनीकरण से इनकार करने के आदेश से या विनियमन 13 के तहत निलंबन या रद्द करने के आदेश से संतुष्ट न हो तो उक्त आदेश के संप्रेषण के 30 दिनों के अन्दर लिखित रूप में आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार के पास अपील कर सकता है।

- **15. सुरक्षा जमाराशि को लौटाना -** निम्नलिखित परिस्थितियों में, यदि कोई हो, बोर्ड के दावों का समायोजन करने के पश्चात, एजेंट को सुरक्षा जमाराशि वापस किया जा सकता है। जैसे –
- (क) लाइसेंस की अवधि की समाप्ति पर और नवीकरण के लिए कोई आवेदन नहीं किए जाने पर;
- (ख) लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन मना करने पर;
- (ग) लाइसेंस के निरस्तीकरण पर; तथा
- (घ) यदि एजेंट जारी किए गए लाइसेन्स को निरस्त करने की इच्छा रखता है और अध्यक्ष को लिखित रूप से इसे बंद करने और सुरक्षा जमा वापसी हेतु आवेदन करता है।

[फा. सं. Pt. 11033/73/2013-PT]

कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

प्रपत्र - ए

कोलकाता पत्तन न्यास

कोलकाता पत्तन न्यास (स्टेवेडरिंग व तट संचालन लाइसेंस) विनियम, 2020 के तहत स्टेवेडरिंग व तट संचालन लाइसेंस प्रदान/नवीकरण करने के लिए आवेदन प्रपत्र

- 1. आवेदनकर्त्ता का नाम :
- क्या आवेदनकर्त्ता कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कोई कंपनी अथवा पार्टनरशीप फर्म है अथवा अन्य कोई विधिक इकाई है | कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अन्य प्रायोज्य दस्तावेज़ी साक्ष्य संलग्न किए जाए |
- 3. पत्राचार हेतु पूरा पता :
- 4. आवेदक का पैन (PAN) अथवा टिन (TIN) सं. -
- 5. आवेदक का फोन नं.
- 6. व्यक्ति का नाम और मोबाइल नम्बर, जिससे संपर्क किया जाना है:
- 7. आवेदक का ई-मेल और फैक्स नम्बर:

- 8. अवधि, जिसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता है:
- 9. स्टीमशीप कंपनी या पोतों के चार्टरर या कार्गो के स्वामी के नाम, जिसके साथ उनके पोत के लिए स्टेवेडरिंग व तट संचालन के लिए अनुबंध अथवा कार्गो निर्वाह अथवा प्रस्ताव में शामिल होना है (अनुबंध अविध का साक्ष्य संलग्न किया जाए | प्रत्येक पार्टी के लिए अनुमानित टनेज दर्शाया जाए)
- स्टेवेडरिंग व तट संचालन कार्यकलापों में पूर्ववर्ती अनुभव :
 (विगत तीन वर्षों में संचालित कार्गो और टनेज के साक्ष्य संलग्न किए जाए)
- 11. क्या आवेदक वेतन, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत क्षतिपूर्ति इत्यादि दायित्वों को पूरा करने के लिए वित्तीय रूप से सक्षम हैं |

(वित्तीय सक्षमता संबंधी बैंकरों से प्रमाण-पत्र और आयकर भुगतान प्रस्तुत की जाए)

12. क्या आवेदक के पास अनुबंधित पोत या कार्गो के स्टेवेडरिंग और/अथवा तट संचालन परिचालन के लिए यथा विनिर्दिष्ट, पर्याप्त उपकरण या उपस्कर है अथवा प्राप्त करने का इच्छुक है |

> (सुरक्षा प्रमाण-पत्र सहित उपकरण या उपस्करों की सूची संलग्न की जाए)

13. क्या आवेदक के पास कम से कम 6 (छः) पर्यवेक्षकीय कार्मिक है/नियोजित करना चाहा है, जिन्हें कम से कम 2(दो) वर्षों का माल संचालन/सजाकर रखने का अनुभव हो ताकि स्टेवेडरिंग व तट संचालन दोनों का कार्य कर सके तथा जो नियमों और विनियमों की जानकारी रखते हों।

(एक सूची जिसमें कर्मचारियों का प्रोफाइल और कार्य-अनुभव दर्शाया गया हो, दी जाए)

- 14 बोर्ड के साथ किए गए काम से संबंधित सभी प्राप्यों का भुगतान, यदि कोई हो, क्या आवेदक ने कर दिया है?
- 15. (क)क्या आवेदन शुल्क और सुरक्षा जमा भुगतान कर दिया गया है ? और (ख) क्या लाइसेंस जारी करते समय आवेदन सुरक्षा जमा राशि भुगतान करने का इच्छुक है |

(भुगतान की रसीद संलग्न की जाए। लाइसेंस की फीस तथा जमा की गई प्रतिभूति, लाइसेंस जारी न होने /नवीकरण न होने पर वापिस कर दिया जाएगा।)

- 16. स्टेवेडरिंग व तट संचालन फर्म के निदेशक, सीईओ/पार्टनर/स्वामी पत्रशीर्ष के तहत मुहर सिहत हस्ताक्षर के साथ स्वयं अभिप्रमाणन देंगे कि वे किसी नैतिक अधमता के किसी अपराध में न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराए गए हैं और जिसके संदर्भ में छः माह से कम की कारावास नहीं हुई है, और यदि ऐसा है तो सज़ा पूरा होने से पाँच वर्ष की अविध व्यतीत हो चुकी है |
- 17. लाइसेंस नवीकरण के मामले में, गोदी सुरक्षा के निरीक्षक द्वारा दिए गए सुरक्षा अनुमित प्रमाण-पत्र संलग्न करें | यदि नहीं, तो फार्म-सी के रूप में निष्पादित मूल क⊡षतिपूर्ति बांड संलग्न करें |
 - मैं/हम..... की तरफ से यह अभिपृष्टि करता हूँ /करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दिए गए सभी विवरण मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा विश्वास के अनुसार सच हैं।
 - मैं/हम...... की तरफ से केओपीटी पर स्टेवेडरिंग और/अथवा तट संचालन परिचालनों को करने के लिए केओपीटी द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले रायल्टी की राशि और केओपीटी (स्टेवेडरिंग व तट संचालन लाइसेंस) विनियमों के अनुसार अन्य प्रभार भुगतान करने पर सहमत हूं/हैं।
 - मैं/हम की तरफ से केओपीटी पर स्टेवेडिरंग और/अथवा तट संचालन परिचालनों को करने के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने हेतु अपेक्षित अन्य कोई भी सूचना/कोई भी अपेक्षित अभिलेख निरीक्षण हेतु पेश करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
 - यदि लाइसेंस प्रदान किया गया/नवीकरण किया गया तो मैं/हम की तरफ से कोलकाता पत्तन न्यास (स्टेवेडोरिंग व तट संचालन लाइसेंस) विनियम, 2020 और समय-समय पर संशोधित विनियम का पाबंद रहूंगा/रहेंगे तथा समय-समय पर कोलकाता पत्तन न्यास द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करूँगा/करेंगे।
 - मैं/हम एतदद्वारा घोषित करता हूं/करते हैं कि, टैरिफ प्राधिकार द्वारा अधिसूचित दर की सीमा से अधिक दर सेवा देने के लिए प्रभारित नहीं करूगा/करेंगे |

x_{0T}	т	•
₹9	ויו	

दिनांक:

आवेदनकर्त्ता के हस्ताक्षर मुहर सहित

कोलकाता पत्तन न्यास के न्यासी मंडल

केओपीटी पर स्टेवेडरिंग व तट संचालन परिचालन किए जाने के लिए लाइसेंस

कोलकाता पत्तन न्यास (स्टेवेडरिंग व तट संचालन लाइसेंस) विनियम, 2020 के तहत जारी

अहस्तात	तरणाय	लाइसस स. :
1.	लाइसेंस धारक का नाम	
 3. 	पता लाइसेंस दिए जाने के अवधि	
4.	अन्य अपेक्षित विवरण	
		लाइसेंसिंग प्राधिकारी
		पदनाम
दिनांक:		स्थान
(मुहर)		
		थर्ते

<u>शत</u>

यह लाइसेंस महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) और कोलकाता पत्तन न्यास (स्टेवेडरिंग व तट संचालन लाइसेंस) विनियम 2020 और समय-समय पर यथा संशोधित प्रावधानों के अधीन प्रदान किया जाता है। सभी स्टेवेडरिंग व तट संचालन एजेंट कोलकाता पत्तन न्यास (स्टेवेडरिंग व तट संचालन लाइसेंस) विनियम 2020, समय-समय पर यथा संशोधित. द्वारा विनिर्दिष्ट कर्तव्य और दायित्व की शर्तों का पालन करेंगे और निम्नलिखित का विशेष रूप से पालन करेंगे:

- स्टेवेडरिंग व तट संचालन एजेंट के साथ-साथ उनके सभी कर्मचारी और कामगार जो स्टेवेडरिंग व तट संचालन परिचालन और उससे संबंधित कार्य से जुड़े हो, गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 और गोदी कामगार(सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विनियम, 1990 और इसके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965, इपीएफ, इएसआई के प्रावधान तथा कोई अन्य विधि/नियम जो ऐसे प्रचालन अथवा श्रम और उपस्कर से संबंधित हो तथा प्रभावी हों, के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- स्टेवेडरिंग व तट संचालन एजेंट केओपीटी द्वारा विनिर्दिष्ट आवश्यक उपकरणों को तैनात करेंगे और स्वयं के ख) स्वामित्वाधीन अथवा भाड़े पर लिए गए गियरों/उपकरणों सहित परिचालन करेंगे।
- स्टेवेडरिंग व तट संचालन एजेंट उनके द्वारा निष्पादित परिचालनों के दौरान हुए किसी दुर्घटना अथवा क्षति अथवा हानि अथवा दावों के लिए संपूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- स्टेवेडरिंग व तट संचालन एजेंट उनके द्वारा निष्पादित परिचालनों के दौरान सभी स्वीकृत सुरक्षित घ)

प्रक्रिया/मनकों का अनुपालन करेंगे।

- ड.) स्टेवेडरिंग व तट संचालन एजेंट उनके द्वारा निष्पादित परिचालनों से हुए सभी तृतीय पार्टी दावों के सापेक्ष बोर्ड को क्षतिपूर्ति करेंगे ।
- च्) स्टेवेडर व तट संचालन एजेंट अथवा उनके किसी कर्मचारी/कामगार द्वारा कार्य निष्पादन के दौरान हुए किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के प्रावधान के तहत, जब भी केओपीटी को अपने कर्मचारी अथवा कामगारों अथवा उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति देनी पड़े, स्टेवेडरिंग व तट संचालन एजेंट इस हेतु प्रतिपूर्ति राशि बोर्ड को अदा करेंगे। कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 प्रावधान के तहत क्षतिपूर्ति के परिमाण का निर्धारण केओपीटी तथा स्टेवेडरिंग व तट संचालन एजेंट के मध्य बाध्यतामूलक और निर्णायक होगा।
- छ) यिद, ऐसे परिचालनों के दौरान केओपीटी की किसी गियर/उपस्कर/संयंत्र और अन्य संपत्ति क्षतिग्रस्त होती है, स्टेवेडिरिंग व तट संचालन एजेंट केओपीटी को क्षतिपूर्ति करेंगे जिसके हानि/नुकसान की सीमा का निर्णय अध्यक्ष या उनके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समुचित छानबीन और संपत्ति के नुकसान की सीमा का मूल्यांकन के पश्चात निर्णय किया जाएगा।
- ज) स्टेवेडरिंग व तट संचालन एजेंट उनके द्वारा की जा रही स्टेवेडरिंग और/अथवा तट संचालन कार्यकलापों अथवा उससे संबंधित कार्यों की कोई भी सूचना केओपीटी के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जब भी मांगी जाए, तुरंत संप्रेषित की जाएगी।
- झ) स्टेवेडरिंग व तट संचालन एजेंट उनके द्वारा तैनात कामगारों का पर्याप्त पर्यवेक्षण करेंगे ताकि सुरक्षा अपेक्षाओं को निरंतर पूरा करते हुए अधिकतम उत्पादकता सुनिश्चित किया जा सके।
- (ςα) विभिन्न प्रकार के माल संचालन के लिए स्टेवेडरिंग व तट संचालन एजेंट सभी आवश्यक गियरों/उपस्करों को प्रदान करेंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत परीक्षित और प्रमाणित किया गया हो ।
- ट) स्टेवेडरिंग व तट संचालन एजेंट उनके द्वारा तैनात गियरों/उपस्करों के आवश्यक 'अनिअलिंग' और जांच प्रमाणपत्रों को आवर्ती जांच के लिए अथवा निरीक्षक, गोदी सुरक्षा या यातायात प्रबंधक/महाप्रबंधक (यातायात) को उनके माँगें जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
- ठ) स्टेवेडरिंग व तट संचालन एजेंट कामगारों को आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपस्कर (पीपीई) और सुरक्षा उपकरण प्रदान करेंगे जो कार्गों के प्रकृति के अनुरूप होगा।
- ढ) स्टेवेडरिंग व तट संचालन एजेंट सुनिश्चित करेंगे कि कामगार अवकाश अविध के अतिरिक्त, संपूर्ण पाली अविध के दौरान, कार्यस्थल पर उपलब्ध रहेंगे और सामान्य उत्पादकता बहाल रखेंगे तथा जब भी उत्पादकता निर्धारित मानदंड से कम हो, इसे उन्नत करने के प्रभावी कदम उठाए जाऐंगे। यदि वह निष्पादन में लगातार चूक करता है तो उचित दंड का मागी होगा, जिसमें प्रगामी वृद्धि की जाएगी।
- ड) स्टेवेडरिंग व तट संचालन एजेंट अनुषांगिक परिचालनों के लिए पर्याप्त प्रबंध करेंगे जो पोतों पर ऑन बोर्ड माल परिचालन के साथ-साथ तट परिचालन के लिए, जैसा अपेक्षित हो, आवश्यक होगा जैसे झाड़ू लगाना, भरना, सिलना, मरम्मत करना, पोत का स्टेंसिलिंग, पोतों की प्राप्ति व भंजन, माल का एकत्रित करना व सजाना इत्यादि। इन अनुषांगिक कार्यों के लिए पृथक प्रभार नहीं लिया जाएगा बल्कि यह टैम्प द्वारा अधिसूचित स्टेवेडरिंग व तट संचालन दरों में ही शामिल होगा।
- ण) स्टेवेडरिंग व तट संचालन एजेंट केओपीटी के सभी बकाया को निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे, जिसके न होने पर इन विनियमों के तहत लाइसेंस रद्द किया जा सकता है । लाइसेंस की नवीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा यदि केओपीटी को देय राशि बकाया होगा।
- त) स्टेवेडरिंग व तट संचालन एजेंट पोतों के आने के पहले ही केओपीटी को रायल्टी का अग्रिम भुगतान करेंगे जो आयात के मामले में आईजीएम परिमाण पर आधारित होगा और निर्यात के मामले में पोत एजेंट/निर्यातक द्वारा घोषित परिमाण पर आधारित होगा। वास्तविक देय रायल्टी की गणना पोत परिचालन पूर्ण होने के बाद किया जाएगा जो स्टेवेडरिंग व तट संचालन एजेंट द्वारा कुल संचालित माल पर आधारित होगा। राशि का अंतर, यदि कोई

हो. बिल (बिलों) के उगाही तिथि से दस दिनों के अंदर देय होगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर अंतर की राशि की भुगतान नहीं की जाती तो बकाए राशि पर बयाज, दरों के पैमाने में दिए अनुसार प्रभारित की जाएगी |

[छूट और स्थगन यदि कोई हो जो इसके मूल अथवा राशि पर प्रस्तावित हो यदि एजेंट द्वारा किसी कारण से इन विनियमों के तहत स्टेवेडरिंग और/अथवा तट संचालन सेवाओं के संदर्भ में वसूली न गई हो, रॉयल्टी के लेखा पर केओपीटी के बकाया की गणना के उद्देश्य से मान्य नहीं होगा].

- स्टेवेडरिंग व तट संचालन एजेंट, यह वचन देंगे कि केओपीटी से तैनात किए गए कामगारों को केन्द्रीय सरकार और पत्तन एवं गोदी कामगार फेडरेशनों के बीच समय-समय पर हुए वेतन समझौते के अनुसार अथवा इस उद्देश्य हेत् केओपीटी द्वारा निर्धारित दर पर भगतान करेंगे।
- स्टेवेडरिंग व तट संचालन एजेंट, किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस के अधीन प्राप्त किसी भी हित/लाभ को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंपेंगे, हस्तांतरित नहीं करेंगे।
- स्टेवेडरिंग व तट संचालन एजेंट, पत्तन के सभी नियमों एवं विनियमों एवं ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेंगे, जो यातायात प्रबंधक, महाप्रबंधक (यातायात) द्वारा सुरक्षा, उन्नत उत्पादकता एवं श्रमिक अनुशासन के हित में समय-समय पर जारी किए जाएंगे।
- जब कभी भी अस्थायी कामगारों को तैनात किया जाता है, स्टेवेडरिंग व तट संचालन एजेंट यह सुनिश्चित न) करेंगे कि ऐसे कामगार बीमा पॉलिसी द्वारा सुरक्षित किए गए हैं।
- केओपीटी द्वारा निर्धारित निष्पादन मानकों को स्टेवेडरिंग व तट संचालन एजेंट द्वारा पालन किया जाएगा। प)
- स्टेवेडरिंग व तट संचालन एजेंट, उनके शुल्कों का विवरण अपने वेबसाइट में और केओपीटी के वेबसाइट में फ) प्रकाशित करेंगे । धार्य प्रभार टैम्प द्वारा निर्धारित शुल्क सीमा से अधिक नहीं होगा ।

संस्वीकृति

मैं/हम उपरोक्त निबंधन व शर्तों के तहत दिनांक को मुझे/हमें जारी किए गए इस स्टेवेडरिंग व तट

संचालन लाइसेंस को स्वीकार करता हूं/करते हैं।	
	हस्ताक्षर

	हस्ताक्षर
	नाम व पदनाम
दिनांक:	
(मुहर)	
पता	
संपर्क नं. साक्ष्य का हस्ताक्षर:	

1.

2.

सुरक्षा-अनुमति प्रस्तुत करने में विलंब होने पर स्टेवेडरिंग व तट संचालन लाइसेंस हेतु क्षतिपूर्ति बॉण्ड का प्रारूप (स्टाम्प अधिनियम के अनुसार स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाएगा)

(वर्तमान में रु.500 से कम स्टाम्प पेपर पर नहीं)

क्षतिपूरक एतदद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से क्षतिपूरित को क्षतिपूरण करने के लिए वचनबद्ध है, यदि क्षतिपूरक (स्टेवेडरिंग व तट संचालन एजेंट) स्टेवेडरिंग व तट संचालन एजेंट प्रचालन में किसी अवांछित घटना या व्यावसायिक संकट टालने के लिए यथेष्ट सतर्कता से काम करने में असफल होते हैं, कोलकाता पत्तन न्यास तथा प त्तन प्रयोक्ता एजेंसियों के जीवन व संपत्ति की रक्षा हेतु आइडीएस के वर्तमान सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर, क्षतिपूरक कोलकाता पत्तन न्यास को इस बाबत किसी क्षतिपूर्ति/दावे/इनके द्वारा किसी व्यक्ति को हुए क्षति की लागत/अथवा केओपीटी की संपत्ति और इनके या इनके कार्मिकों/उपस्कर/गियरों द्वारा पत्तन संपत्ति को क्षति के मामले में केओपीटी के दावे और अथवा लाइसेंस में निर्दिष्ट उनके दायित्व के अनुसार किसी भी क्षति का मुआवजा/दावे/नुकसान संबंधित व्यय का प्रतिपूर्ति करेंगे।

यह क्षतिपूर्ति बाण्ड इस में निर्दिष्ट तारीख तक हमारे पक्ष में वैध रहेगा।

साक्ष्य		<u>जमानतदार</u>
1.	(नाम व पता)	1. (नाम,पता सहित)
2.	(नाम व पता)	2. (नाम,पता सहित)

MINISTRY OF SHIPPING NOTIFICATION

New Delhi, the 11 th .June, 2020

G.S.R.370(E).—In exercise of the powers conferrd by sub-section (1) of section 124 read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves with modification the Kolkata Port Trust (Stevedoring and Shore Handling License) Regulations, 2020, made by the Board of Trustees of the Kolkata Port Trust under section 123 and published by it as required under sub-section (2) of section 124 of the said Act. as set out in the Scheduled annexed to this notification.

2. The said regulation as approved shall come into force from the date of publication of this notification in the official Gazette.

In exercise of the powers conferred by Section 123 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Kolkata Port Trust hereby makes the following regulations, in supersession of the Kolkata Port Trust (Licensing of Stevedores) Regulations, 1987, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, namely:-

- 1. Short title and commencement: (1) These regulations may be called the Kolkata Port Trust (Stevedoring and shore handling license) Regulations, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of publication of the approval thereto by the Central Government in the Official Gazette.
- 2. Definitions- In these Regulations, unless the context otherwise requires,-
- (a) "Act" means the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963);
- (b) "agent" means a person to whom stevedoring and shore handling licence has been issued under regulation 6:
- (c) "Board" means the Board of Trustees for the Port of Kolkata as constituted under the Act;
- (d) "Chairman" means the Chairman of the Board;
- (e) "form" means a form appended to these regulations;
- (f) "General Manager (Traffic)" means the officer in charge of the Traffic Operations Department of Haldia Dock Complex of the Kolkata Port Trust and includes its deputies and assistants or any other officers acting under his authority;
- (g) Haldia Dock Complex means Haldia Dock Complex as defined in the prevailing scale of rates of the Kolkata Port Trust;
- (h) Kolkata Dock System means Kolkata Dock System as defined in the prevailing scales of rates of the Kolkata Port Trust;
- (i) "licence" means a stevedoring and shore handling licence issued under regulation 6;
- (j) "port" means the Kolkata Port;
- (k) "royalty" means the amount fixed by the Board which is payable by the agent to the Board for rendering stevedoring and shore handling services;
- (l) "shore handling activities" include arranging and receiving the cargo or container to or from the hook point, intra port transportation from wharf to stack yard and *vice-versa* and also receiving and delivery of cargo or container from or to wagons or trucks or barges or conveyors;
- (m) "stevedoring activities" include all operational activities involving workmen and equipment on-board the vessels in respect of loading and unloading of goods on or from vessels at jetties, berths, wharfs, piers, quays, docks or anchorages belonging to or under the control of the Board including hooking and unhooking on-board for import and export cargo and includes stuffing or destuffing of containers;
- (n) "tariff authority" means the Tariff Authority for Major Ports constituted under section 47A of the Act;
- (o) "traffic manager" means the officer in charge of the traffic department of the Kolkata Dock System under the Kolkata Port Trust and includes his deputies and assistants or any other officer acting under his authority;
- (p) words or expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.
- 3. Application. These regulations shall apply to the stevedoring activities on-board and shore handling activities on shore undertaken by the agent within the limits of the port, but shall not apply to such activities undertaken by the Board, either directly or through contractor, or by any person with whom Public Private Partnership agreement or Build-Operate-Transfer agreement or such other agreement as has been entered into by the Board.
- 4. No person to undertake stevedoring or shore handling activities without licence No person shall undertake stevedoring and shore handling activities in the port unless he has been issued a valid licence under these regulations:

Provided that a person to whom licence has been issued prior to the coming into force of these regulations may continue to operate under the existing licence for a period of sixty days or till he obtains a licence under these regulations, whichever is earlier.

- 5. Criteria for issue of licence A licence for carrying out the stevedoring and shore handling activities may be issued to an applicant who fulfills the following criteria, namely:-
- (a) the applicant is a company registered under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or a partnership firm or any other legal entity;

- (b) the applicant has employed or submits an undertaking to employ at least six supervisory personnel possessing minimum of two years' of experience in cargo handling or stowage planning:
 - Provided that such supervisory personnel shall not be on the pay roll of another company or be an employee of any other employer or deployed by the applicant in any other ports;
- (c) the applicant possesses equipment, gears and attachments required for stevedoring and shore handling activities, as specified by the Board:
- (d) the applicant is willing to deposit an interest-free refundable security deposit of rupees five lakh, or as the Board may fix, from time to time, to meet any contingency.
- 6. Issue of licence.- (1) Any person who desires to obtain a licence under these regulations for carrying out the stevedoring and shore handling activities may, at any time, submit an application online in the format available on the website of the Board, or in writing to the Chairman in Form-A, along with the documents specified therein and a fee of rupees one lakh or such higher fee, as the Board may fix, from time to time.
- (2) If the Chairman is satisfied that the applicant fulfills the criteria specified under regulation 5, he may issue licence to the applicant in Form-B or otherwise communicate the order of refusal to the applicant.
- (3) The licence shall be issued under sub-regulation (2) on payment of security deposit specified in clause (d) of regulation 5.
- 7. Validity and renewal of licence:- (1) The licence issued under regulation 6 shall be valid for a period of three years from the date of issue of licence unless otherwise specified.
- (2) An application for renewal of licence may be submitted in Form-A, at least three months prior to the expiry of the licence, along with the documents specified therein and a fee of rupees one lakh or such higher fee, as the Board may fix from time to time, and in case of delay, a late fee of rupees fifty thousand or such other late fee, as may be fixed by the Board.
- (3) The licence is liable to be renewed if the applicant fulfills the following conditions, namely:-
- (a) has complied with the terms and conditions of the licence;
- (b) has handled a minimum amount of cargo or containers per annum, as the Board may fix, from time to time;
- (c) has complied with the performance standards notified by the tariff authority;
- (d) has complied with the safety norms and such compliance has been certified by the Inspector appointed under the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Act, 1986 (54 of 1986) in the report submitted to the Chairman.
- (4) If the Chairman is satisfied that the applicant has fulfilled the conditions specified in sub-regulation (3), he may renew the licence for a further period of three years unless otherwise specified, or otherwise communicate the order of refusal to the applicant:

Provided that where the report of the Inspector referred to in clause (d) of sub-regulation (3) is not submitted before the date of expiry of the licence, the Chairman may, if he is satisfied that the applicant fulfills all other conditions specified in sub-regulation (3), renew the licence for a further period of three years unless otherwise specified, subject to the agent executing an Indemnity Bond in Form-C:

Provided further that in case there is an adverse report from the Inspector, the license may be suspended or cancelled.

- (5) In the event of loss or defacing of the original licence, a duplicate licence may be issued if an application in this behalf is made to the Chairman on payment of rupees fifty thousand or such other amount, as the Board may fix from time to time
- 8. Performance Standards and tariff for Stevedoring and shore handling activities- (1) The Board shall from time to time specify the performance standards to be followed by the agents for carrying out stevedoring and shore handling activities in the port.
- (2) The Board may, for the purpose of encouraging compliance with the performance standards specified by it, fix incentives for the agents and specify penalty for non-performance and may publish monthly summary of performance achieved by the agents on its website.
- (3) The tariff authority shall, on the basis of performance standards specified by the Board under subregulation (1), fix and notify tariff separately for mechanised and manual operations of stevedoring and shore handling activities in the port and such tariff shall be the ceiling rates applicable in the port.
- (4) While notifying the tariff under sub-regulation (3), the tariff authority shall also notify the performance standards specified by the Board under sub-regulation (1).
- (5) No agent shall charge tariff exceeding the ceiling rates notified by the tariff authority.
- (6) One or more Nodal Officer shall be appointed by the Chairman for -

- (a) ensuring compliance of the stevedoring and shore handling tariffs by the agents;
- (b) examining complaints received on violation of tariff notification or imposition of higher charges than the ceiling rates: and
- (c) submitting report to the Traffic Manager or General Manager (Traffic), as the case may be, on the contraventions committed by any agent.
- 9. Payment of Royalty. (1) The Board shall, in respect of the licence issued by it, charge a royalty as the licence fee on percentage basis of the ceiling tariff, which will be fixed by the Board from time to time, and no discrimination shall be made in charging such royalty for the same type and quantity of cargo handled by the agents.
- (2) Every agent shall be liable to pay royalty in advance, prior to calling of the vessel, on the basis of import general manifest quantity, in case of import, and on the basis of the quantity declared by the vessel's agent or exporter or export general manifest, in case of export, and the actual royalty payable shall be calculated after completion of the vessel's operation based on the total quantum of cargo handled by the agent.
- (3) The difference in amount of royalty, if any, shall be payable within ten days from the date of completion of vessel and in case of delay in payment of royalty, interest shall be payable as specified in the scale of rates of the port:
- (4) The Board may consider the waiver of royalty, in following circumstances, namely:-
- (a) relief cargo handled during the natural calamities;
- (b) defence cargo handled during the emergencies and war like situations;
- (c) if such direction is issued by the Government.
- 10. Duties and responsibilities of agents Every agent shall perform the following duties and have the following responsibilities, namely,-
- (a) submit to the traffic department of Kolkata Dock System and Haldia Dock Complex, as the case may be, a daily performance report online;
- (b) comply with applicable safety norms specified under any law for the time being in force in relation to his activity;
- (c) indemnify the Board against all third party claims arising out of his operations;
- (d) ensure that the casual workers deployed by him are covered by the insurance policy and other benefits under applicable law;
- (e) if any gear, plant, infrastructure or any other property of the Board is damaged in the course of stevedoring and shore handling operations, he shall compensate the Board for such loss or damage, the extent of which shall be decided by the Chairman or his authorised officer after carrying out a proper enquiry and valuation of the property and extent of damage;
- (f) ensure compliance with the terms and conditions of the licence;
- (g) achieve the performance standards fixed by the Board from time to time;
- (h) shall pay all the dues of the port including charges for services availed from the registered cargo handling workers and the interest as specified in the scale of rates:
- (i) shall publish the tariff charged by it, which shall not exceed the ceiling rates fixed by tariff authority, and upload the same on its website:
- (j) ensure publication of its tariff on the website of the Board;
- (k) impart training on a periodical basis in modern methods of cargo handling to the personnel deployed for stevedoring and shore handling activities for improving the productivity, efficiency and safety in stevedoring and shore handling activities;
- (l) the agent shall deploy necessary equipment adhering to Statutory Norms and as specified by the Board, and carry out the operations with the gears or equipment owned or hired by him;
- (m) the agent shall be solely responsible for accident or damage or loss or claims resulting from or arising out of operations performed by him;
- (n) whenever the Board is required to pay compensation to any of its employees or workers or his dependents under the provision of the Workmen's Compensation Act, 1923 or any other statute as in force at the relevant period, in consequence of any accident arising out of and during the course of work performed by any agent or any of his employee or worker, the agent shall reimburse to the Board the sum so paid for such purpose;

- (o) the agent shall communicate promptly any information relating to the stevedoring and shore handling activities undertaken by him or matters related therewith, as and when called for by the authorized representative of the Board;
- (p) the agent shall carry out adequate supervision over the workers employed by him in order to ensure maximum productivity consistent with the requirement of safety;
- (q) the agent shall ensure that the workers are available at the worksite throughout the shift period except during the recess hours, and render the desired output and take effective steps to improve the performance whenever the output falls below the stipulated norms;
- (r) the agent shall ensure ancillary arrangements such as, sweeping, filling, stitching, repairing, vessel's stenciling, lashing and delashing of cargo, stacking and storage of cargo, required for cargo operation on-board the vessels as well as on shore, as the case may be and ancillary services shall not be separately charged, but shall be included in the stevedoring and shore handling rates notified by the tariff authority.
- (s) the agent shall not assign, transfer and in any manner part with any interest or benefit in or under the license to any other person.
- 11. Duties of Traffic Manager or General Manager (Traffic).- (1) The traffic manager or General Manager (Traffic), as the case may be, shall be responsible for monitoring and ensuring compliance of the terms and conditions of the licence issued to the agents and also of the safety norms to be followed by such agents.
- (2) In case of any default in the compliance of the terms and conditions of the licence or in following of the safety norms by any agent, the Traffic Manager or General Manager (Traffic), as the case may be, shall, in the event of first such default, cause a warning to be issued to such agent and in the event of subsequent defaults, submit a report to the Chairman stating details of non-compliance and recommending penal action to be taken against the agent, including cancellation of the licence and forfeiture of security deposit.
- 12. Deployment of workers of Board, Dock Labour Board, licence holder or other sources Existing practice of deploying workers of Port and/or Dock Labour Board by agents shall continue. The agent shall deploy the workers of the Port and/or Dock Labour Board in accordance with the law for the time being in force and in case the Port and/or Dock Labour Board is unable to supply the workers as sought for by the agent, the Port and/or Dock Labour Board may allow the agent to make its own arrangement.
- 13. Suspension and cancellation of licence- (1) The Chairman may review the performance of the agents every month and in case he deems it necessary, he may, by an order in writing, and for reasons to be recorded, suspend or cancel the licence issued by him on any of the following grounds, namely:-
- (a) the average performance falls below the performance or productivity norms for consecutive three vessels handled by them;
- (b) has been charging tariff higher than the ceiling rates approved by the tariff authority;
- (c) has been handling cargo less than the volume as specified in clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 7, consecutively for a period of two years:
- (d) has been convicted by the Court for an offence involving moral turpitude;
- (e) has contravened safety regulations and failed to comply with the mandatory dock safety measures;
- (f) has failed to adopt proper and safe handling methods:
- (g) has been guilty of misrepresentation or misstatement of material facts:
- (h) has been adjudged insolvent or is in liquidation;
- (i) has transferred the licence or sub-contracted with any other person for operating the stevedoring and shore handling activities;
- (j) has failed to comply with security rules, instructions or International Ship and Port Facility Security Code;
- (k) has failed to submit daily performance report;
- (1) has indulged in illegal or corrupt practices;
- (m) has been guilty of misconduct which in the opinion of the Board, warrants cancellation or suspension of licence:
- (n) has any outstanding dues payable to port:
 - Provided that no such licence shall be cancelled or suspended until the holder of the licence has been given a reasonable opportunity for showing cause why his licence should not be cancelled or suspended on such ground.
- 14. Appeal A person, who is aggrieved by the order of refusal to issue of licence under regulation 6 or by the order of refusal to renew licence under regulation 7 or by the order of suspension or cancellation under

regulation 13, may prefer an appeal to the Central Government within thirty days of the receipt of the order appealed against.

- 15. Refund of security deposit The security deposit is liable to be refunded to the agent, after making adjustments of the claims of the Board, if any, in the following circumstances, namely:-
- (a) on the expiry of the period of licence and no application has been made for renewal;
- (b) on the refusal of the application for renewal of licence;
- (c) on cancellation of licence; and
- (d) if the agent desires to foreclose the licence issued to him and makes an application in writing to the Chairman for foreclosure and refund of security deposit.

[F.No. Pt. 11033/73/2013-PT]

KAILASH KUMAR AGGARWAL, Jt. Secy.

FORM - A

KOLKATA PORT TRUST

APPLICATION FORM FOR THE GRANT OR RENEWAL OF STEVEDORING AND SHORE HANDLING LICENCE under the Kolkata Port Trust (Stevedoring and Shore Handling License) Regulations, 2020

- 1. Name of the applicant :
- 2. Whether the applicant is a Company registered under the Companies Act, 2013 or a partnership firm or has any other legal entity and Memorandum of Association of the Company, other applicable documentary proof to be attached).

:

:

- 3. Full Address for communication:
- 4. Applicant's PAN No. or TIN No:
- 5. Contact number of applicant:
- 6. Name of the person to be contacted and mobile no:
- 7. E-mail and fax No. of applicant
- 8. Period for which licence is required
- Name(s) of the Steamship Company or Charterer of Ships or Owner of Cargo, with whom the contract for stevedoring and shore handling operation of their vessel or cargo subsists or is proposed to be entered.

(Proof of Contract for the period covered is to be appended. The approximate tonnage for each party is to be indicated)

- 10. Previous experience in the stevedoring activities and shore handling activities: (enclose proof of the cargo and tonnage handled in the previous three years)
- whether the applicant has financial ability to meet the obligation on account of wages, compensation under Workmen's Compensation Act'1923 etc.

 (a certificate from the Bankers as to the financial ability and Income Tax clearance to be produced)
- 12. Whether the applicant has or willing to acquire adequate gears or equipment for undertaking stevedoring and/or shore handling operation of the contracted vessel or cargo as may be specified by expard.

 (enclose list of equipment and gears with safety certificate):

13. Whether the applicant has willing to have in his employment, atleast six supervisory personnel with minimum two years of cargo handling or stowage experience for undertaking stevedoring and shore handling and conversant with rules, regulations and statutes.

(A list of the staff with their profiles and work experience is to be furnished.)

- 14. Whether the applicant has cleared all dues in respect of earlier transactions, if any, with the Board (enclose copies of no dues certificate from the concerned authorities of the Board).
- 15. (a) Whether the application fee and Security Deposit have been deposited; and(b) In the event of issue of licence, whether the applicant is willing to pay security deposit:

(The receipt for the payment is to be attached. The license fee and the deposit will be refunded if the licence is not issued or renewed)

- 16. Self-certification (to be attached)
 from the Director/ CEO/ Partner(s)/
 Proprietor of the Stevedoring and
 Shore Handling firm in letterhead with signature
 and seal that he/she/they has/have not
 been convicted by the Court of any offence
 involving moral turpitude and sentenced in
 respect, thereof, to imprisonment for not
 less than six months, and if so a period of
 five years has elapsed from the date of
 expiry of the sentence
- 17. In case of renewal of licence, enclose safety clearance certificate granted by inspector of dock safety.

 If not, enclose duly executed original indemnity bond as in Form-C.
 - I/We affirm on behalf of that the particulars submitted above are true to the best of my knowledge, and belief.
 - I/We agree on behalf of to pay the royalty amount as would be specified by Kolkata Port Trust for undertaking stevedoring and/or Shore handling operations at Kolkata Port Trust and any other charges as per the KoPT Stevedoring and Shore Handling License) Regulations
 - I/We agree on behalf of to furnish any information/produce any record for inspection as may be required to consider the request for grant of Stevedoring and Shore Handling Licence.
 - I/We agree on behalf of to abide by the Kolkata Port Trust (Stevedoring and Shore Handling License) Regulations, 2020, as amended from time to time and to comply with the directions given by Kolkata Port Trust from time to time, if the licence is issued/renewed in my/our favour.
 - I/We, hereby declare that, I/We shall charge the rates for services rendered not exceeding the ceiling rates notified by the tariff authority.

Place	:	
Date	:	

FORM-B

The Board of Trustees for the Port of Kolkata

Licence for undertaking stevedoring and shore handling Operation at KoPT

Issued under Kolkata Port Trust (Stevedoring and Shore Handling License) Regulations, 2020

Not Transferable	License No. :
1. Name of the Licensee	
2. Address	
3. Period for which the licence is granted	
fromto	
4. Any other particulars required to be mentioned	
	Licensing Authority
	Designation
Date:	Place
(SEAL)	

CONDITIONS

This licence is granted subject to the provisions of the Major Port Trust Act 1963 (38 of 1963) and Kolkata Port Trust (Stevedoring and Shore Handling License) Regulations, 2020, as amended from time to time

Every Stevedoring and Shore Handling Agent shall be subject to the duties, obligations and responsibilities imposed by the Kolkata Port Trust (Stevedoring and Shore Handling License) Regultions, 2020, as may be revised from time to time, and more specifically the following:

- a) The Stevedoring and Shore Handling Agent as well as all its staff and workers engaged for undertaking Stevedoring and Shore Handling Operation and work incidental thereto will ensure compliance with the provisions of the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Act, 1986 and the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Regulations, 1990 and notifications issued thereunder, the Industrial Disputes Act. 1947, the Minimum Wages Act' 1948, Payment of Bonus Act, 1965, provisions of EPF, ESI and any other law/statutes relating to such operations or labour and equipment at the time of being in force.
- b) The Stevedoring and Shore Handling Agent shall deploy necessary equipment as will be specified by Kolkata Port Trust and carry out the operations with the gears/equipment owned or hired by them;
- c) The Stevedoring and Shore Handling Agent shall be solely responsible for any accident or damage or loss or claims resulting from or arising out of operations performed by them;
- d) The Stevedoring and Shore Handling Agent shall comply with all accepted safe practices/ norms during operations performed by them;

21

- f) Whenever Kolkata Port Trust has to pay compensation to any of its employees or workers or his dependents under the provision of the Workmen's Compensation Act, 1923, in consequence of any accident arising out of, and during the course of, work performed by a Stevedore or Shore Handling Agent or any of its employee/worker, the Stevedoring and Shore Handling Agent shall reimburse the Board any sum so paid for any such purpose. The quantum of compensation as determined under the Workmen's Compensation Act, 1923, shall be taken as binding and conclusive between Kolkata Port Trust and the Stevedoring and Shore Handling Agent;
- g) If any gear or equipment, plant and other property of the Kolkata Port Trust is damaged in the course of any such operation, the Stevedoring and Shore Handling Agent shall compensate Kolkata Port Trust for such loss or damage, the extent of which shall be decided by the Chairman or his authorised Officer after carrying out a proper enquiry and valuation of the property or extent of damage;
- h) The Stevedoring and Shore Handling Agent shall communicate promptly any information relating to the Stevedoring and Shore Handling activities undertaken by them or matters related therewith as and when asked for by the authorised representative of Kolkata Port Trust.
- The Stevedoring and Shore Handling Agent shall carry out adequate supervision over the workers employed by him in order to ensure maximum productivity consistent with the requirements of safety;
- j) The Stevedoring and Shore Handling Agent shall provide all the necessary gears/ equipment duly tested & certified by the Competent Authority for handling different types of cargo;
- k) The Stevedoring and Shore Handling Agent shall produce the necessary annealing and test certificates for gears / equipment deployed by them for periodic inspection or as and when demanded by the Inspector, Dock Safety or the Traffic Manager/ General Manager(Traffic);
- l) The Stevedoring and Shore Handling Agent shall provide the workers necessary Personal Protective Equipment (PPE) and safety appliances, appropriate for the type of cargo;
- (m) The Stevedoring and Shore Handling Agent shall ensure that the workers are available at the worksite throughout the shift period, except during the recess hours and render the normal output and shall take effective steps to improve the performance whenever output falls below the stipulated norms. If he is found failing repeatedly on performance suitable penalty will be imposed and will be increased progressively.
- (n) The Stevedoring and Shore Handling Agent shall make adequate arrangements for ancillary operations such as sweeping, filling, stitching, repairing, vessel's stencilling, securing and breaking of cargo, stacking & stowage of cargo, etc required for cargo operation on board the vessels as well as on-shore, as the case may be; These ancillary services shall not be separately charged and shall be inclusive in the Stevedoring and Shore Handling Rates notified by Tariff Authority for major Ports.
- (o) The Stevedoring and Shore Handling Agent shall ensure that all dues of Kolkata Port Trust are paid within the specified days failing which the license may be liable to be cancelled under these regulations and licence shall not be considered for renewal if any amount payable to Kolkata Port Trust remains outstanding.
- (p) Stevedoring and Shore Handling agents shall remit in advance the royalty to KoPT prior to calling of the vessel, on the basis of IGM quantity in case of Import and in case of export on the basis of the quantity declared by the vessel's agent or exporter and the actual royalty payable will be calculated after completion of the vessel's operation based on the total quantum of cargo handled by the Stevedoring and Shore Handling Agent and the difference in amount, if any, shall be payable by the Stevedoring & Shore Handling Agent within 10 days from the date of raising of the bill(s) and in the event of non-payment of the differential amount within the stipulated period interest will be levied on the outstanding dues as specified in the Scale of Rates.

(The discounts and deferments, if any, offered to its principals or amounts if any not collected by such Agent for any reason whatsoever in respect of the Stevedoring and/or shore handling services under these Regulations, shall not be recognised for the purpose of calculation of dues of Kolkata Port Trust on account of royalty.)

q) The Stevedoring and Shore Handling Agent shall undertake to pay to workers engaged by him from Kolkata Port Trust, wages in accordance with the terms of wage settlement arrived at

between the Central Government and the Federations of Port and Dock workers from time to time or at the rates fixed by Kolkata Port Trust for the purpose;

- r) The Stevedoring and Shore Handling Agent shall not assign, transfer or in any manner part with any interest or benefit in or under the licence to any other person;
- s) The Stevedoring and Shore Handling Agent shall comply with all Rules and regulations of Kolkata Port Trust and such instruction as may be issued from time to time by the Traffic Manager/General Manager(Traffic) in the interest of safety, improvement in productivity and labour discipline.
- t) Whenever casual workers are deployed, Stevedoring and Shore Handling Agent should ensure that such workers are covered by Insurance Policy.
- The Stevedoring and Shore Handling Agent shall achieve the performance norms fixed by Kolkata Port Trust.
- v) The Stevedoring and Shore Handling Agent shall publish their tariff along with breakup in their websites and in the website of Kolkata Port Trust and the charges leviable shall not exceed the ceiling rates prescribed by Tariff Authority for major ports.

exceed the	e ceiling rates prescribed by Tariff Authority for major ports.
	ACCEPTANCE
I/We accept this Stevedorin terms and conditions stated	g & Shore Handling License issued to me/us on this day the under the as above.
Date:	Signature:
(Office Seal)	Name & designation
Address	
Contact No	
Witness to the signature:	
1.	
2.	
	FORM-C
Format of Indemnity Bona	for renewal of Stevedoring & Shore Handling Licence, pending submission of Safety Clearance
	(To be furnished in Stamp paper as per stamp Act)
	(Present not less than ₹ 500/- stamp paper)
expression shall, unless re representative and assigned	ecuted by
	\ 1
Handling Licence Pendin	ne above mentioned Licence provides for renewal of Stevedoring and Shore g submission of Safety Clearance for guarantee to comply with other remaining ort Trust (Stevedoring and Shore Handling License) Regulations, 2020 for a period

The indemnifier hereby irrevocably agrees to indemnify the indemnified that in the event of the indemnifier (stevedoring and shore handling agent) fails to undertake stevedoring & shore handling operations with sufficient precaution against any untoward incident or occupational hazards violating extant safety norms of Inspectorate of Dock Safety (IDS) for protecting the life and property of Kolkata Port Trust and of the port user

agencies, the indemnifier shall reimburse to the Kolkata Port Trust the entire amount towards any compensation/claim/damage cost which may be caused by it to any person and / or property of KoPT and to make good KoPT's claim in resepct of any and all damages so caused by it or its personnel / equipment / gears to any Port property and/or in respect of his obligations emanated from the Licence already referred.

This indemnity shall be in force upto the date of validity of the license.

Name : Designation :

WITNESS SURITIES

1. (Name with address) 1. (Name with address)

2. (Name with address) 2. (Name with address)